न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 343 सन 2018

अनवान :–

1. रोहताश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर
2. दयाराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर
3. दर्शनादेवी पत्नी दयाराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
4. मंजुरानी पत्नी रोहताश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. चन्द्रकला 6 कृष्णा पि0 बनवारी जाति जाट साकिन उज्जलवास तहसील नोहर
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 5.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 2/95 के प0न0 391/ 467(17) के किला न0 2/0.1518 ,3/0.1518 ,4/.1518 ,5/.1518 ,6/.2277 ,7 ,8/0.506 ,13 ,14/0.506 ,15/0.2277 ,17 ,18/0.506, 25/0.2277 ,कुल किता 16 की 3.542हैक एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 4/4 के किला न0 394/466(95) किला न0 2/2 की 0.114 ,9 ,12 ,19 ,22/1.012हैक , प0न0 394/467(105) के किला न0 1/2 की 0.013हैक , 2/0.025हैक 0.038हैक रास्ता कुल 1.392हैक भूमि जिसके बनवारी पुत्र लिखमाराम जाति जाट खातेदार काश्तकार थे।

पूर्व में उक्त भूमि वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लिखमाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहानत होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 2/95 की 3.542हैक व चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 4/4 की 1.392हैक भूमि प्राप्त हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसके कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वाद भूमि का परिवारिक समझौता कर लिया है जिसके अनुसार रोही मौजा चक 9जीजीएम के खाता संख्या 2/95 की 3.542हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के एवं चक चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 4/4 की 1.392हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिसके देहानत होने के बाद विरास्तन से उसके नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि का परिवारिक समझोता कर लिया है जो वाद की मद संख्या 6 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रसतुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी का हक हिस्सा है। तथ वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उनका परिवारिक समझौता हो चुका है जिसके चक 9 जीजीएम की भूमि वादी एवं प्रतिवादी स. 1 ,2 तथा चक 7 जीजीएम के प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के हक हिस्सा में आई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जाकर राजीनाम पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जीजीएम के खाता संख्या 2/95 की कुल 3.542हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 4/4 की कुल 1.392हैक भूमि में वादी प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 5.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official